फर्द अहकाम

नारायण वगैरह बनाम सरकार

यालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

या 238/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
13/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली मुल्तवीहाल दिनांक 14/6/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24/06/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

नारायणी वगै० बनाम सरकार वगै०

मुकदमा नं० 238/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24.06.2024.	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादीगणों के वाद पत्र, तहसीलदार के जवाब, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्रों, जिरह तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम लांगडियावास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 242/2 रकबा 3 बीघा वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से साधिकार काबिज होकर काश्त कर लगान राज्य सरकार में जमा करवाते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में राजकीय सिवायचक भूमि थी जिसका खसरा नम्बर 242 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा था। उक्त 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 3 बीघा भूमि दिनांक 08.12.1971 को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर वादिया सं0 1, 3, 4 के हकपूर्वाधिकारी स्वर्गीय श्री कजोड पुत्र मांगीलाल मीणा को एवं वादी सं0 2 लाला पुत्र मांगीलाल मीणा को आवंटित की गई थी। किन्तु उक्त आवंटन आदेश मे सहवन से कजोड के स्थान पर ईसरा व लाला के स्थान पर रामनारायण पुत्रान मांगीलाल मीणा अंकित हो गया जबकि वास्तविकता में ईसरा व रामनारायण पुत्रान मांगीलाल मीणा नाम के कोई व्यक्ति ना तो दिनांक 08.12.1971 को ना ही उससे पूर्व तथा ना ही उसके पश्चात आज दिनांक तक ग्राम लांगडियावास में नही है। अर्थात उक्त दोनों ही नामों के व्यक्ति ग्राम में कभी पैदा ही नही हुए है तथा वादी सं0 2 व वादी सं0 1, 3, 4 के हकपूर्वाधिकारी स्व0 श्री कजोड ही उक्त भूमि के वास्तविंक आवंटि, खातेदार व काबिज काश्तकार है। अतः उक्त वर्णित भूमि को ईसरा एवं रामनारायण पुत्रान श्री मांगीलाल के स्थान पर कजोड पुत्र मांगीलाल व लाला पुत्र मांगीलाल मीणा के नाम अंकित किया जाकर रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें। वकील प्रतिवादी ने पत्रावली में जवाब ने देकर मौखिक बहस की। अतः पत्रावली को अवलोकन करने व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र से संज्ञान में आया है कि वादी द्वारा वाद पत्र में आवंटन आदेश को सही नही ठहराया गया है। वादी के कथन है कि ग्राम लांगडियावास में ईसरा व रामनारायण पुत्रान मांगीलाल नायक कोई व्यक्ति नही है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ही साधिकार काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र केवल मात्र एडवर्स पजेशन के अन्तर्गत पेश किया गया जो कि पोषणीय नही है। वादी स्वयं से कथनों को सिद्व करने में असफल रहा है। अतः वादपत्र खारिज योग्य होने के कारण वादग्रस्त बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण

नारायणी वगै0 **बनाम** **सरकार**

दावा बाबत घोषणा

दिनांक 24.06.2024

मुकदमा नं0 — 238 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललितमीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री संदीप शर्मा वकील वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में आवंटन आदेश को सही नही ठहराया गया है। वादी के कथन है कि ग्राम लांगडियावास में ईसरा व रामनारायण पुत्रान मांगीलाल नायक कोई व्यक्ति नही है तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण ही साधिकार काबिज काश्त है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र केवल मात्र एडवर्स पजेशन के अन्तर्गत पेश किया गया जो कि पोषणीय नही है। वादी स्वयं से कथनों को सिद्व करने में असफल रहा है। अतः वादपत्र खारिज योग्य होने के कारण वादग्रस्त बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री दिनांक 24.06.2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा	रुपये	पैसे
मुदई		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा	रुपये	पैसे
मुदालयह		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ